रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2016/अग्रहायण 10, 1938
No. 831] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2016/AGRAHAYANA 10, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1112(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली - 110003 को भेजें;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बावत यदि किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है, तो उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.......संशोधन) नियम, 2016 है।

 (2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची XI में,-

 (i) पैरा 1 के खंड (क) में,

 (क) उप-खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थातः-

"स्पष्टीकरण : इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए "भारत में कारबार का मुख्य स्थान" की अभिव्यक्ति उस कंपनी या निगमित निकाय से अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थातः-

(i) भारत में इसका अपना मुख्यालय हो जहां ज्येष्ठ प्रबंधन कार्मिक जैसे प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी के अपने कार्यालय हों और वे वहां से नियमित आधार पर संचालित हों;

(ii) इसके निदेशक मंडल की बैठकें भारत में होती हों; और

(iii) इसकी लेखा-बहियां भारत के मुख्यालय में हों;

(ख) उप-खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड को प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थातः-

"(ख) इसके कम से कम एक-तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों और इसका कम से कम एक पद चेयरमैन या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय नागरिक द्वारा धारित हो;"

(ग) उप- खंड (ग) का लोप किया जाए;

(ii) पैरा 3 और 4 का लोप किया जाए;

(iii) पैरा 5 के लिए, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"5 विमान प्रचालक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन महानिदेशक को उस रीति और प्ररूप में किया जाए जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन आवेदक द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो और वह आवेदन अनुसूचित विमान परिवहन सेवा आरंभ करने की बनाई गई योजना की तारीख से कम से कम छह मास पूर्व किया गया हो।

(2) महानिदेशक को आवेदन करने से पूर्व, आवेदक नागर विमानन मंत्रालय को उस रीति और प्ररूप में आवेदन जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, करके केंद्रीय सरकार से आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(3) आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, केंद्रीय सरकार आवेदक की ठोस वित्तीय स्थिति, उसकी प्रचालन योजना, उसके निदेशकों सहित आवेदक संगठन की दृष्टि से संरक्षा से अनापत्ति जैसे पहलुओं और अन्य पहलू जो नीतिगत दृष्टि से प्रस्ताव का हिस्सा हो सकते हैं, पर ध्यान देते हुए विचार करेगी।

(4) आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र जिस तारीख को जारी किया गया है उस तारीख से एक वर्ष छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे एक बार छह मास की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(5) आरंभिक आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने तथा उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए पचास हजार रुपये की फीस संदेय होगी;"

(iv) पैरा 6 और 7 का लोप किया जाए;

(v) पैरा 8 में,-

(क) उप- पैरा (1) के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थातः-

"(1) महानिदेशक विमान प्रचालक प्रमाण पत्र के आवेदन पर यथा समय तेजी से विचार करेंगे और उनके इस बात से समाधानप्रद हो जाने पर कि आवेदक ने विहित अपेक्षाएं पूरी कर दी है, विमान प्रचालक प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन प्रदान कर सकेंगे;"

(ख) उप-पैरा (2) में, खंड (iii), (iv) और (v) का लोप किया जाए;

(vi) पैरा 9 के लिए; निम्नलिखित पैराओं को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:

"9. (1) विमान प्रचालक प्रमाण पत्र पांच वर्ष से अधिक अवधि जो महानिदेशक द्वारा इसे प्रदान करते समय विहित की जाए, के लिए विधिमान्य नहीं होगी और महानिदेशक द्वारा एक बार अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए इसका नवीकरण इस बात का समाधान प्रद हो जाने पर किया जा सकेगा कि धारक प्रमाण पत्र के अधीन संतोषप्रद रूप में सेवाओं का निष्पादन कर रहा है और वह सेवाएं जारी रखने में सक्षम है।

(2) विमान प्रचालक प्रमाण पत्र जारी करने लिए बीस लाख रुपये तथा उसके नवीकरण के लिए 10 लाख रुपये की फीस संदेय होगी।

9क. इस अनुसूची के अधीन संदेय फीस का भुगतान वेतन और लेखा कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में ऑनलाइन या मांग देय ड्राफ्ट के द्वारा किया जा सकेगा;"

(vii) पैरा 15 में, उप-पैरा (2) के खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(ड.) कि अनुज्ञा कपट द्वारा प्राप्त की गई थी; या

(च) कि केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा कंपनी या निगमित निकाय की संरक्षा अनापत्ति वापस ले ली गई है या इन्कार कर दी गई है।

[फा. सं. एवी.11012/2/2013-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन तारीख 21 अक्तूबर, 2016 की सा.का.नि अधिसूचना सं. 994(अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2016

G.S.R. 1112(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (.....Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Schedule XI to the Aircraft Rules, 1937,—

(i) in clause (ii) of paragraph 1,

(a) after sub-clause (a), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-** For the purposes of this sub-clause, the expression "principal place of business within India" means that the company or body corporate satisfies the following conditions, namely:-

(i) it has its headquarters in India where the senior management personnel like the Managing Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, etc., have their offices and operate from there on a regular basis;

(ii) it holds the meetings of its Board of Directors in India; and

(iii) it has its books of accounts at its headquarters in India.";

(b) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(b) at least one-third of its Directors are citizens of India and at least one of the posts of Chairman or Managing Director or Chief Executive Officer is held by an Indian citizen.";

(c) sub-clause (c) shall be omitted;

(ii) paragraphs 3 and 4 shall be omitted;

(iii) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. (1) An application for Air Operator Certificate shall be made to the Director-General in such form and manner as may be specified by the Director-General which shall be signed by the applicant or by a person duly authorised in that behalf by the applicant and the application shall be made at least six months before the date on which it is planned to commence the scheduled air transport services.

(2) Before making the application to the Director-General, the applicant shall obtain an initial No Objection Certificate for his proposal from the Central Government by making an application to the Ministry of Civil Aviation in such form and manner as may be specified by the Director-General.

(3) For granting the initial no objection certificate, the Central Government shall consider the proposal taking into account factors such as the financial soundness of the applicant, his operational plan, the clearance from security angle of the applicant organisation including its Directors, and any other factor that may have a bearing on the proposal from policy angle.

(4) The initial no objection certificate shall be valid for a period of one and a half years from the date of issue and may be renewed for a further period of six months at a time.

(5) A fee of rupees fifty thousand shall be payable for making the application for initial no objection certificate and for each renewal thereof.";

(iv) paragraphs 6 and 7 shall be omitted;

(v) in paragraph 8,-

(a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The Director-General shall consider the application for the Air Operator Certificate as speedily as possible and upon being satisfied that the applicant has met the laid down requirements, shall grant the Air Operator Certificate subject to such conditions as may be specified therein.";

(b) in sub-paragraph (2), clauses (iii), (iv) and (v) shall be omitted;

(vi) for paragraph 9, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"9. (1) The Air Operator Certificate shall be valid for a period not exceeding five years as may be fixed by the Director-General at the time it is granted and may be renewed by the Director-General for a maximum period of five years at a time upon being satisfied that the holder has been performing the services under the Certificate satisfactorily and has the capability to continue the services.

(2) A fee of rupees twenty lakhs shall be payable for the issuance of an Air Operator Certificate and rupees ten lakhs for renewal thereof.

9A. The fees payable under this Schedule shall be paid by online or by Demand Draft drawn in favour of the Pay and Accounts Office, Director General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, New Delhi.";

(vii) in paragraph 15, for clause (e) of sub-paragraph (2), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(e) that the permit was obtained by fraud; or

(f) that the security clearance of the company or the body corporate has been withdrawn or denied by the Central Government, Ministry of Home Affairs.".

[F. No. AV.11012/2/2013-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and were last amended by vide notification number GSR 994(E), dated the 21st October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.02 10:46:49 +05'30'